-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 20.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा स्टार्टर चोरी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान सहित,अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.02.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा स्टार्टर चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र केरहने वाले दीपक सिंह द्वारा थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी कि दिनांक 17/18.02.2026 की देर रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा खेत से उनका स्टार्टर चोरी कर ले गए। सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 20.02.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान अभियुक्त को ग्राम पचनेही नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गये अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस सहित चोरी का स्टार्टर बरामद हुआ।

बरामदगी-

- 01 स्टार्टर (चोरी का)
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनिल पुत्र झंडू निवासी तिंदवारी रोड ज्योति नगर थाना कोतवाली नगर बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0- 35/26 धारा 331(4)/305 (A) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0स0- 39/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार
2. उ0नि0 श्री राजेश चन्द्र
3. कां0 मंजीत यादव